

रजिस्टर के परिशोधन के लिए आवेदन

(धारा 30 तथा 48 (1) नियम 63)

(मामले के विवरण की दो प्रतियों के साथ दो प्रतियों में भरा जाए और इसके साथ उतनी प्रतियां की जाएं जितने रजिस्ट्रीकरण के अधीन रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता हैं ।)

-----के नाम में अभिन्यास डिज़ाइन सं. -----के मामले में ।

मैं/हम 1 ----- आवेदन करते हैं कि ऊपर उल्लिखित अभिन्यास डिज़ाइन की बाबत रजिस्टर में प्रविष्टि को निम्नलिखित रीति में (हटाया) / (परिशोधित) 2 किया जाए।

मेरे/हमारे आवेदन के आधार निम्नलिखित हैं

-----3 अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन रजिस्ट्री कार्यालय ने इस अभिन्यास डिज़ाइन के संबंध में समुचित कार्यालय के रूप में रजिस्टर में प्रविष्टि कर ली गई है ।

प्रश्नगत अभिन्यास डिज़ाइन से संबंधित में न्यायालय में कोई कार्रवाई लम्बित नहीं है ।

इन कार्यवाहियों से संबंधित सभी ससूचनाएँ भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएँ ।

आज माह-----तारीख-----20

हस्ताक्षर-----

सेवा में,
अभिन्यास डिज़ाइन अपील बोर्ड

या

सेवा में,

रजिस्ट्रार अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन ।

अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन का रजिस्ट्री -----6 पर कार्यालय ।

1. पूरा नाम, पता तथा राष्ट्रीयता बताएँ । यदि आवेदक का भारत में कारबार या निवास के स्थान का कोई पता नहीं है तो भारत में तामील के लिए पता का उल्लेख करें । नियम 17 देखें।
2. जो लागू न हो उसे काट दें ।
3. अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन के समुचित रजिस्ट्री कार्यालय के स्थान के नाम का उल्लेख करें । नियम -4 देखें
4. केवल उस आवेदक द्वारा बताया जाए जिसने भारत में कारबार या निवास के मुख्य स्थान का पता है किन्तु इन कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए भारत इस में पते से भिन्न पते को देने की वांछ करता है ।
5. अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन के समुचित रजिस्ट्री कार्यालय के स्थान के नाम का उल्लेख करें । नियम -4 देखें